Title: Need to meet the demands of the Non-teaching staff of colleges under Delhi University.

श्री लाल बिहारी तिवारी : महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 70 कालेज आते हैं वहां के कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। 30 नवम्बर, 1999 व 19 फरवरी, 2000 के जो फैसले एग्जीक्यूटिव कमेटी में हुए थे, उन्हें लागू न कर वापस ले लिए गए।

लैबोरेट्री व टैक्निशियन स्टाफ में काफी विसंगतियां थी जिन्हें खत्म करने का फैसला हुआ था, परन्तु यूजीसी के चेयरमैन की जिद के कारण उसे वापस ले लिया गया।

वन टाइम अपवर्ड मूवमैंट (नैक्स्ट ग्रेड) 31.12.96 से 31.12.97 तक बढ़ाया था। 8 साल में नैक्स्ट ग्रेड मिल जाता था। 1986 से 1996 तक मिलता रहा। बाद में बंद कर दिया गया।

यूनिवर्सिटी व कालेज में रिक्त स्थान भरने की परमिशन न देकर उसे बंद कर दिया, जिसमें से टोटल पोस्टिंग का दस प्रतिशत टीचिंग व नॉन टीचिंग में से कट गया था। इसमें से टीचिंग स्टाफ का बैन हटा दिया गया लेकिन नॉन टीचिंग का नहीं हटाया गया, जबकि दोनों वर्ग बराबर की सेवा देते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कर्मचारियों की मांग को लागू करवाने की कृपा करें।